भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./84/2025 **28 मार्च, 2025**

सेवा में,

समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक,
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया

विषयः समापन के लिए Baanknet (पूर्ववर्ती eBKray) नीलामी प्लेटफार्म का अनिवार्य रूप से प्रयोग।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने तारीख 10 जनवरी, 2025 के परिपत्र सं. आई.बी.बी.आई./ एल.आई.क्यू./81/ 2025 द्वारा समापन प्रक्रियाओं के संबंध में कार्यवाही करने वाले समस्त दिवाला व्यावसायिकों को 1 अप्रैल, 2025 से समापन प्रक्रिया के दौरान आस्तियों के विक्रय के लिए नीलामियों का संचालन करने के लिए अनन्य रूप से Baanknet नीलामी प्लेटफार्म का उपयोग करने का निदेश दिया था । यह भी निदेश दिया गया था कि चालू समापन मामलों में समस्त अविक्रीत आस्तियों को सूचीबद्ध करने का कार्य 31 मार्च, 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा ।

2. तत्पश्चात्, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025, तारीख 29 जनवरी, 2025 द्वारा नीलामी से पूर्व भावी बोलीकर्ताओं के प्रति सम्यक् तत्परता बरतने संबंधी परिसमापक की अपेक्षा का त्याग कर दिया गया था । अब सभी भावी बोलीकर्ताओं से यह अपेक्षित हैं कि वे आवश्यक दस्तावेज़, जिसके अंतर्गत दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 29क के अधीन पात्रता संबंधी घोषणा भी है, जैसा की नीलामी सूचना में विनिर्दिष्ट है और/या इलैक्ट्रानिक नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से प्रस्तुत करें।

3. इस संबंध में, यह निदेश दिया जाता है कि -

(i) सभी आई.पी.समापन प्रक्रिया के दौरान आस्तियों के विक्रय के लिए वहां नीलामियों के संचालन करने के लिए अनन्य रूप से Baanknet नीलामी प्लेटफार्म का उपयोग करेंगे जहां नीलामी सूचना 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् जारी की जाती है ।

(ii) सभी आई.पी. नीलामी सूचना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि-

- भावी बोलीकर्ता, आवश्यक दस्तावेज़, जिसके अंतर्गत दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 29क के अधीन पात्रता संबंधी घोषणा भी है, इलैक्ट्रानिक नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे ।

- भावी बोलीकर्ता अग्रिम धन निक्षेप(ई.एम.डी.) Baanknet नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करेंगे ।
- यह भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि यदि बोलीकर्ता अपात्र पाया जाता है तो ई. एम. डी. ज़ब्त कर ली जाएगी ।

4. किसी स्पष्टीकरण की दशा में, www.ibbi.gov.in पर यथा-उपलब्ध बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न(एफ.ए.क्यू.) और दिशानिर्देश दस्तावेज़ों के प्रति निर्देश किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, आप फोन नं. +91 8291220220 या ईमेल आई.डी. support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क कर सकते हैं ।

5. यह परिपत्र, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(राजेश तिवारी)

महा-प्रबंधक